न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 98 / 1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11 / 14)

1. धारा सिंह पुत्र महणा सिंह जाति रायसिख निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. जवाहर सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति रायसिख निवासी खंखा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता
2. श्री ईसर सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
3. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 29.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थी जवाहर सिंह पूर्व में गांव गाउताड़ तहसील व जिला फिरोजपुर का रहने वाला था और अब गांव खंखा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर चक 1 ए बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 के 2.00, मुरब्बा नम्बर 23 के 4.00 कुल 6.00 बीघा रकबा सन् 1978 में फर्जी अलाट करवाया है क्योंकि अप्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी नहीं था। इसलिये काश्तकारी अधिनियम के तहत वह भूमि अलाट करवाने का अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी ने सही तथ्य छुपाकर फर्जी अलाटमेंट करवाई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 14.09.1987 को पेश किया जो पत्रावली में उपलब्ध है के अनुसार अप्रार्थी सन 1949 के बाद गांव खंखा में निवास कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा सही तथ्य रखकर चक 1 ए बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मु.न.31 के 2.00, मुरब्बा नम्बर 23 के 4.00 कुल 6.00 बीघा भूमि काफी वर्षों तक टी.सी. पर अलाट होती रही है उसके बाद अप्रार्थी ने पुख्ता अलाटमेंट कि दरखास्त दी जिस पर तमाम जांच होने के बाद उपरोक्त रकबा दिनांक 4.11.1977 को पुख्ता अलाट की गई। अप्रार्थी द्वारा तमाम किस्त भी जमा करवाकर खातेदारी अधिकार दिनांक 23.02.1986 को प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी इस जमीन का खातेदार है। अप्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है और काश्तकार पेशा है। अलाटमैन्ट नियम के तहत ही रकबा अलाट किया गया है । प्रार्थी और अप्रार्थी के बीच में जमीन का झगड़ा चल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रहा है तथा कई फौजदारी मुकदमें भी चल रहे है इसी रंजिश की वहज से यह झुठा मुकदमा बनाया गया है।

पत्रावली का संधारण दिनांक 30.04.1986 को अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 03.05.1991 द्वारा मूल अभिलेख सहित तीन माह में प्रतिवेदन भिजवाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित किया गया। आदेशिका दिनांक 29.12.1997 से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी यहां का वाशिंदा नहीं हो । प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। पत्रावली उपजिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पंजीबद्व की जाकर पेशी में ली गई।

उपजिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 29.12.1997 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट कमांक 1469 दिनांक 26.09.1989 अनुसार सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 1678 दिनांक 04.11.1977 द्वारा अप्रार्थी जवाहर सिंह पुत्र गंगासिंह जाति रायसिख निवासी खंखा को चक 1 ए बड़ा में मु.न.31 के 2.00, मुरब्बा नम्बर 23 के 4.03 कुल 6.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। अलोटी द्वारा दिनांक 18.08.1986 को समस्त किश्ते जमा करवा दी है तथा जिलाधीश महोदय द्वारा सनद 30282 दिनांक 23.08.1986 जारी हो चुकी है तथा इन्तकाल खातेदारी 47 दिनांक 19.10.1986 को दर्ज हो चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांकः राजस्व/ 92/23 दिनांक 03.04.1992 में अंकित किया कि चक 1 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किलाा नम्बर 3,4 कुल 2.00 बीघा व मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 का 13 बिस्वा, 16,17 सालम, 18 का 0.10 बीघा व 25 सालम कुल 4.03 बीघा रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2047 के जवाहर सिंह पुत्र गंगासिंह कौम रायसिख साकिन खंखा के नाम से खातेदारी है एवं जवाहर सिंह खुद काबिज है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी जवाहर सिंह पुत्र गंगासिंह कौम रायसिख साकिन खंखा गांव गाउताड़ तहसील व जिला फिरोजपुर का रहने वाला हो। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांकः राजस्व/ 92/23 दिनांक 03.04.1992 में अंकित किया कि चक 1 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किलाा नम्बर 3,4 कुल 2.00 बीघा व मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 का 13 बिस्वा, 16,17 सालम, 18 का 0.10 बीघा व 25 सालम कुल 4.03 बीघा रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2047 के जवाहर सिंह पुत्र गंगासिंह कौम रायसिख साकिन खंखा के नाम से खातेदारी है एवं जवाहर सिंह खुद काबिज है। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत का मुख्य बिन्दु रहा है कि अप्रार्थी जवाहर सिंह पूर्व में गांव गाउताड़ तहसील व जिला फिरोजपुर का रहने वाला था। अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी सन 1949 के बाद गांव खंखा में निवास कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा सही तथ्य रखकर चक 1 ए बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मु.न.31 के 2.00, मुरब्बा नम्बर 23 के 4.00 कुल 6.00 बीघा भूमि काफी वर्षो तक टी.सी. पर अलाट होती रही है उसके बाद अप्रार्थी ने पुख्ता अलाटमेंट कि दरखास्त दी जिस पर तमाम जांच होने के बाद उपरोक्त रकबाा दिनांक 4.11.1977 को पुख्ता अलाट की गई। अप्रार्थी द्वारा तमाम किस्त भी जमा करवाकर खातेदारी अधिकार दिनांक 23.02.1986 को प्राप्त हो चुके है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 1678 दिनांक 04.11.1977 द्वारा अप्रार्थी जवाहर सिंह पुत्र गंगासिंह जाति रायसिख निवासी खंखा को चक 1 ए बड़ा में मु.न.31 के 2.00, मुरब्बा नम्बर 23 के 4.03 कुल 6.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। अलोटी द्वारा दिनांक 18.08.1986 को समस्त किश्ते जमा करवा दी है तथा जिलाधीश महोदय द्वारा सनद 30282 दिनांक 23.08.1986 जारी हो चुकी है तथा इन्तकाल खातेदारी 47 दिनांक 19.10.1986 को दर्ज हो चुका है। प्रार्थी परिवादी ने पंजाब के निवास के सम्बन्ध कोई भी साक्ष्य ऐसा पेश नहीं किया गया जिससे प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी पंजाब का निवासी हो। साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थी का आवेदन ग्राहय नहीं है। लगभग 35–40 वर्ष की लम्बी अवधि आवंटन के बाद से व्यतीत हो जाने के उपरान्त इस स्टेज पर आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में ऐसा कोई रेकार्ड व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं इसलिए बिना आधार व सबूत के पेश की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner